उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 6 | अंक 3 | 1-15 फरवरी 2023 | ₹ 20/-

हज पर सरकार की नई नीति से हाजियों को राहत

- असम में बाल विवाह के खिलाफ अभियान
- म्यांमार में इमरजेंसी की अवधि में वृद्धि
- भूकंप के कारण तुर्की और सीरिया में हजारों लोग हताहत
- मस्जिदों में महिलाओं के नमाज पढ़ने पर रोक नहीं

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

हज पर सरकार की नई नीति से हाजियों को राहत 04
अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट में कटौती की आलोचना 06
असम में बाल विवाह के खिलाफ अभियान से मचा बवाल 07
समान नागरिक संहिता की आड़ में मुसलमानों को गुमराह करने का प्रयास 10
अल्पसंख्यकों को अपनी ओर लाने के लिए भाजपा का अभियान 12

विश्व

म्यांमार में इमरजेंसी की अवधि में वृद्धि 14
तालिबान ने किया भारतीय बजट का स्वागत 15
पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान 16
बांग्लादेश को पौने पांच अरब डॉलर का कर्ज 17
बाइडेन के दूसरे निवास से कोई गुप्त दस्तावेज नहीं मिले 18

पश्चिम एशिया

भूकंप के कारण तुर्की और सीरिया में हजारों लोग हताहत 20
सूडान इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करेगा 21
ईरान में हजारों कैदियों को माफी देने की घोषणा 22
सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री डालने के आरोप में मॉडल गिरफ्तार 24
मुस्लिम बहुल देश बुर्किना फासो फ्रांस के चंगुल से मुक्त 24

अन्य

सोमनाथ मंदिर पर टिप्पणी के आरोप में मौलाना के खिलाफ मुकदमा 26
मौलाना अब्दुल कवि बरी 26
मस्जिदों में महिलाओं के नमाज पढ़ने पर रोक नहीं 27
मस्जिद-ए-नबवी में दाखिल हुई दो गैर-मुस्लिम महिलाएं 27
सरकार की नई शिक्षा नीति की आलोचना 27

सारांश

संघ की ओर से मुस्लिम संप्रदाय के साथ तालमेल बढ़ाने और सद्भावनापूर्ण वातावरण के निर्माण के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, उसके जारी रहने की संभावना है। अब तक इस संदर्भ में दो बैठकें हो चुकी हैं और तीसरी बैठक की भी तैयारी की जा रही है। इसके अतिरिक्त भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा ने भी मुस्लिम मतदाताओं को भाजपा की ओर आकर्षित करने के लिए चार महीने का विशेष संपर्क अभियान शुरू करने का संकेत दिया है।

अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि देश भर में लोकसभा के उन क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा, जहां पर मुसलमान किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को विजय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमने पांच हजार प्रमुख मुस्लिम प्रतिनिधियों की एक सूची तैयार की है, जिसमें विभिन्न मुस्लिम संगठनों के धार्मिक नेता, चिंतक, बुद्धिजीवी, व्यापारी और उद्योगपति शामिल हैं। ये हमें भाजपा के पक्ष में वातावरण बनाने के लिए सहयोग देंगे। हम गांवों, कस्बों और जिला स्तर पर मस्जिदों के इमामों और विभिन्न संगठनों के प्रभावी मुसलमानों से भी संपर्क साध रहे हैं।

एक ओर तो संघ परिवार देश में समरसता के लिए प्रयत्नशील है, वहीं दूसरी ओर, कुछ कट्टरपंथियों को ये प्रयास पसंद नहीं आ रहे हैं। हाल ही में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक विशेष बैठक लखनऊ में संपन्न हुई, जिसमें आदिवासियों, अन्य अल्पसंख्यकों एवं दलितों के साथ मिलकर समान नागरिक संहिता के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाने का निर्णय किया गया। इस बैठक में इस बात पर भी चिंता प्रकट की गई कि कुछ लोगों द्वारा मुस्लिम उपासना स्थलों पर दावे किए जा रहे हैं। सरकार से यह अनुरोध किया गया कि उपासना स्थलों के संरक्षण के कानून पर सख्ती से अमल किया जाए। असम सरकार द्वारा बाल विवाह के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, उस पर भी इस बैठक में कहा गया कि असम सरकार जानबूझकर मुसलमानों को परेशान करने के लिए यह अभियान चला रही है। जबकि असम के मुख्यमंत्री इस बात का स्पष्टीकरण दे चुके हैं कि यह अभियान किसी विशेष वर्ग या धर्म के खिलाफ नहीं है।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पेश बजट में अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट में जो कटौती की गई है, उसकी आड़ लेकर भी उर्दू अखबार मोदी सरकार के खिलाफ वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

तुर्की और सीरिया में जो भीषण भूकंप आया था, उसमें 24 हजार से अधिक लोगों के मारे जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस नाजुक घड़ी में भारत सरकार ने भी भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए उपकरणों सहित अपनी विशेष टीमें तुर्की और सीरिया भेजी है।

भारत सरकार ने हाल ही में जो वार्षिक बजट पेश किया था, उसकी सराहना अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी की है। इस बजट में अफगानिस्तान सरकार को 200 करोड़ की सहायता देने की व्यवस्था की गई है। इससे पहले भी भारत 50 हजार मीट्रिक टन गेहूं अफगानिस्तान को भेज चुका है। भारत के ताजा बजट पर टिप्पणी करते हुए तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि इससे दोनों देशों के संबंध मजबूत होंगे।

राष्ट्रीय

हज पर सरकार की नई नीति से हाजियों को राहत

इंकलाब (9 फरवरी) के अनुसार सऊदी सरकार ने इस वर्ष पौने दो लाख भारतीय मुसलमानों को हज यात्रा करने की अनुमति दी है। इससे पूर्व इतनी बड़ी संख्या में भारतीय मुसलमानों को हज यात्रा करने की सुविधा कभी प्रदान नहीं की गई थी। इस कोटे में से 80 प्रतिशत हाजी हज कमेटी द्वारा और 20 प्रतिशत हाजी प्राइवेट टूर ऑपरेटरों द्वारा सऊदी अरब भेजे जाएंगे।

अल्पसंख्यक मंत्रालय ने 2023 की हज नीति की औपचारिक घोषणा कर दी है। इस नीति के तहत इस बार हज यात्रियों को फॉर्म मुफ्त में मिलेंगे। इससे पहले उन्हें इस फॉर्म के लिए 300 रुपये का भुगतान करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय किया गया है कि इस वर्ष हज खर्च के लिए हाजियों से 50 हजार रुपये कम वसूल किए जाएंगे। अभी तक हाजियों को सूटकेस, बैग, छाता इत्यादि हज कमेटी से खरीदना पड़ता था। लेकिन अब यह शर्त भी हटा दी गई है। जहां तक महिलाओं के हज पर जाने का संबंध है, उन्हें इस बात की अनुमति दी गई है कि यदि उनकी उम्र 45 वर्ष से अधिक है और उनके साथ कोई 'महरम' (नजदीकी पुरुष रिश्तेदार) नहीं है, तो वह चार या उससे ज्यादा लोगों के साथ हज पर जा सकती है। इसके साथ ही हज जाने के इच्छुक यदि कोई महिला अकेले हज पर जाना चाहती है, तो उसे इसकी अनुमति होगी। जेद्दा में उसके लिए अलग रहने का प्रबंध किया जाएगा।

इस बार हाजियों के लिए 25 हवाई अड्डों से विमानों को सऊदी अरब भेजने की व्यवस्था की गई है। हज यात्रियों की स्वास्थ्य जांच सरकारी केंद्रों में निःशुल्क की जाएगी। जो लोग हज कमेटी द्वारा हज यात्रा कर चुके हैं, उन्हें पुनः जाने की अनुमति नहीं होगी। 70 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को अतिरिक्त भुगतान के साथ हज करने की अनुमति होगी। सबसे महत्वपूर्ण फैसला सरकार ने यह किया है कि इस वर्ष से हज

यात्रियों का सरकारी कोटा समाप्त कर दिया गया है।

नई हज नीति की घोषणा करते हुए अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि सरकार की नीति यह है कि हज यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि पहले देश के 19 हवाई अड्डों से हाजी जेद्दा जाते थे। अब इनकी संख्या बढ़ाकर 25 कर दी गई है। महिलाओं के साथ अगर बच्चे भी जाते हैं, तो उनकी देखभाल के लिए भी विशेष व्यवस्था की जा रही है।

सालार (10 फरवरी) के अनुसार नई हज नीति के तहत इस वर्ष से प्रत्येक हज यात्री अपने साथ दो बच्चों को भी ले जा सकता है। हज की अवधि 30-40 दिनों के बीच की तय की गई है। हज के लिए 65 वर्ष की आयु सीमा को भी हटा दिया गया है। दो वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को हवाई यात्रा का पूरा किराया देना होगा। नई हज नीति के अनुसार सरकारी कोटा समाप्त कर दिया गया है। इससे पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री और हज कमेटी ऑफ इंडिया के कोटे से हज जाने वालों के लिए खास कोटा निर्धारित था। हज यात्रियों को अपने-अपने जिले के सिविल सर्जन से स्वास्थ्य जांच का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। इसके अतिरिक्त उन्हें आरटीपीसीआर टेस्ट सरकारी प्रयोगशाला में मुफ्त करवाने की भी सुविधा दी गई है।

समाचारपत्र ने कहा है कि प्रत्येक 300 हज यात्रियों पर एक खादिम उल हुज्जाज की नियुक्ति के साथ-साथ प्रत्येक राज्य से निदेशक दर्जे के एक अधिकारी को भी संबंधित राज्यों के हाजियों की देखभाल के लिए भेजा जाएगा। जो लोग हज करना चाहते हैं, वे ऑनलाइन अपना आवेदन दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें व्यक्तिगत रूप से आवेदन देने की भी अनुमति दी गई है। नई हज नीति के अनुसार 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों, महिलाओं और विकलांगों को कोटे में प्राथमिकता दी जाएगी।

रोजनामा सहारा (9 फरवरी) के अनुसार मुसलमानों के विभिन्न वर्गों के विद्वानों ने हज, वक्फ और दीनी मदरसों की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह एवं राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी से विचार विमर्श किया। इसमें यह चर्चा की गई कि इस बात की संभावना है कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश के हज यात्रियों के लिए केंद्र सरकार ने जो कोटा निर्धारित किया है, उसकी शायद पूर्ति न हो पाए। इसलिए सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि खाली सीटों पर पुनः हज यात्रा करने के इच्छुक व्यक्तियों को मौका दिया जाए। ऐसे व्यक्तियों से दो हजार रियाल का जो अतिरिक्त भुगतान लिया जाता है, उसे समाप्त किया जाए। साथ ही हज हाउस के स्टाफ में भी वृद्धि की जाए।

अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट में कटौती की आलोचना

सालार (2 फरवरी) के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का जो आम बजट पेश किया है, उसमें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के लिए निर्धारित धनराशि में भारी कटौती की गई है। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में इस मंत्रालय के लिए 5020 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसे इस बार कम करके 3097 करोड़ कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि पिछले वर्ष अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के लिए निर्धारित बजट को क्योंकि खर्च नहीं किया गया था, इसलिए उसमें कटौती की गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने 2612 करोड़ की धनराशि खर्च की। बजट में कटौती के कारण मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना खतरे में पड़ गई है।

इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों में भी भारी कटौती की गई है। प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप और मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप की योजनाएं समाप्त कर दी गई हैं। मुसलमानों के स्किल डेवलपमेंट के लिए चलाई जा रही योजनाओं का बजट 235 करोड़ से कम करके 10 लाख कर दिया गया है। जबकि 'नई मंजिल' योजना का बजट भी 46 करोड़ से कम करके 10 लाख कर दिया गया है। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन का बजट भी सिर्फ 10 लाख कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का बजट भी 1650 करोड़ रुपये से कम करके 600 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

समाचारपत्र के अनुसार नए बजट के कारण मदरसों के 50 हजार अध्यापकों के बेरोजगार होने की संभावना है, क्योंकि मदरसा आधुनिकीकरण योजना का बजट 160 करोड़ से कम करके 10 करोड़ कर दिया गया है। इस फैसले से उत्तर प्रदेश के मदरसों के अध्यापकों के बेरोजगार होने की संभावना बढ़ गई है।

सियासत (5 फरवरी) के अनुसार ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के महासचिव डॉ. मोहम्मद असगर चुलबुल ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार का असली चेहरा सामने आ गया है। केंद्र की भाजपा सरकार की अलपसंख्यकों के प्रति हमदर्दी और नरेन्द्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास' की कलई खुल गई है। इस बजट में अल्पसंख्यकों की शिक्षा की योजनाओं को नजरअंदाज किया गया है।

सालार (3 फरवरी) में प्रकाशित लेख में डॉ. सलीम अहमद ने दावा किया है कि मोदी सरकार ने नए वर्ष का जो बजट पेश किया है, वह मुसलमानों के साथ विश्वासघात है। सरकार का यह बजट अल्पसंख्यक विरोधी है और यह फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देते। प्रधानमंत्री मोदी ने यह घोषणा की थी कि उनकी सरकार सबकी है। यह उनलोगों का भी विकास करके विश्वास प्राप्त करेगी, जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया था। मुसलमान यह सुनकर खुश हो गए।

इंकलाब (2 फरवरी) के अनुसार वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने नए साल के बजट को मृग मरीचिका की संज्ञा दी है और कहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री अपनी जुमलेबाजी और दिलकश नारों से जनता को गुमराह करते रहे हैं, उसी का अनुसरण अब वित्त मंत्री ने भी किया है। इस बजट से अल्पसंख्यकों और वंचित वर्गों को घोर निराशा हुई है।

मुंबई उर्दू न्यूज (2 फरवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि यह बजट जन विरोधी है और इस बजट में सिर्फ अमीर वर्ग को ही लाभ पहुंचाया गया है। इस बजट में अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित बजट में 40 प्रतिशत की कटौती की गई है। सरकार की इस नीति के कारण जो गरीब मुसलमान हैं, वे और भी गरीब हो जाएंगे।

सियासत (3 फरवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि केंद्र में सत्तारूढ़ होने से पहले भाजपा ने देश में 'सबका साथ, सबका विकास' का नारा दिया था। जब वह दूसरी बार सत्ता में आई तो लोगों को यह सब्जबाग दिखाया गया कि वह समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए प्रयत्नशील है। लेकिन अगर पिछले आठ वर्षों का विश्लेषण किया जाए, तो यह साफ हो जाएगा कि यह नारा सिर्फ कागजी था और इसकी आड़ में जनता को गुमराह किया गया। केंद्र सरकार की ओर से अल्पसंख्यकों की विकास योजनाओं को सुनियोजित ढंग से समाप्त कर दिया गया। भारत में 20-22 करोड़ मुसलमानों की आबादी के लिए बजट में सिर्फ 3 हजार करोड़ की ही व्यवस्था की गई है। इससे साफ है कि सरकार मुसलमानों के वजूद से भी इंकार करती है। अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के लिए यूपीएससी की परीक्षाओं के लिए छात्रवृत्तियों की जो व्यवस्था थी, उसे समाप्त कर दिया गया है। इसका मतलब है कि सरकार प्रशासनिक ढांचे से मुसलमानों को दूर रखना चाहती है। मदरसों के आधुनिकीकरण के नाम पर मुसलमानों को जो मृग मरीचिका दिखाई गई थी, अब उसका कटु सच भी सामने आ गया है। अब इस योजना को ही समाप्त कर दिया गया है। एक ओर, सरकार मुसलमानों के विश्वास को जीतने के लिए कदम उठाने का दावा करती है और दिखावे के लिए मुसलमानों के प्रतिनिधियों से मुलाकातें भी की जाती हैं। वहीं दूसरी ओर, सरकार अल्पसंख्यकों को धोखा दे रही है और उनके साथ नाइंसाफी कर रही है। सरकार का यह रवैया बेहद अफसोसनाक है।

इंकलाब (11 फरवरी) के अनुसार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में हुई चर्चा में भाग लेते हुए ऑल इंडिया इतेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली ने अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित बजट में वृद्धि करने और उनकी पुरानी कल्याण योजनाओं को बहाल करने की मांग की है।

असम में बाल विवाह के खिलाफ अभियान से मचा बवाल

इंकलाब (11 फरवरी) ने दावा किया है कि असम सरकार द्वारा जिस तरीके से लड़कियों के पतियों और पिताओं की गिरफ्तारियां की जा रही हैं, उसके कारण कोई भी लड़की अस्पताल में प्रसव के लिए नहीं जाना चाह रही है। हाल ही में बोंगईगांव जिले में एक 16 वर्षीय गर्भवती मुस्लिम लड़की की मौत हो गई। पुलिस ने बाद में उसके पति शाहीनूर अली और पिता अयनल हक को गिरफ्तार कर लिया है।

समाचारपत्र ने कहा है कि हालांकि असम में 2016 से ही भाजपा सत्ता में है। मगर उसने इससे पूर्व कभी बाल विवाह को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। अब राज्य सरकार इस तरह के विवाहों को रोकने की बजाय उन जोड़ों

के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिनकी पहले ही शादियां हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि अब तक 2089 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और इस संबंध में कार्रवाई अभी जारी है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि इस अभियान में सिर्फ मुसलमानों को ही निशाना नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने कहा है कि दूध पीते बच्चों को उनकी माताओं से अलग किया जा रहा है और परिवारजनों को जेलों में डाला जा रहा है।

गौरतलब है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार मुस्लिम लड़कियों के निकाह के लिए कोई न्यूनतम उम्र निर्धारित नहीं है। मासिक धर्म शुरू होने के बाद उनका निकाह कभी भी किया जा सकता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मुस्लिम लड़कियों की 15 वर्ष की उम्र में निकाह को जायज करार दिया था, जिसे बाल कल्याण आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड की न्यायपीठ ने कहा था कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले को किसी दूसरे मामले में उदाहरण के तौर पर पेश न किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने मुसलमानों में 18 वर्ष से कम उम्र में शादी के खिलाफ याचिकाओं पर न तो कोई सुनवाई की है और न ही कोई दूसरा आदेश ही जारी किया है। इसके बावजूद असम सरकार मुसलमानों को निशाना बना रही है।

दैनिक भास्कर (5 फरवरी) के अनुसार असम में बाल विवाह के खिलाफ गत कुछ दिनों से जो अभियान चल रहा है, उसमें 2278 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें नाबालिग लड़कियों के पति, पिता और इन शादियों को कराने वाले पुजारी और मौलवी भी शामिल हैं। पुलिस का दावा है कि उनके पास 4 हजार से अधिक लोगों की सूची है, जिनको शीघ्र ही गिरफ्तार किए जाने की संभावना है।

समाचारपत्र ने कहा है कि राज्य मंत्रिमंडल ने 23 जनवरी को अपराधियों को गिरफ्तार करने का फैसला किया था। मुख्यमंत्री का कहना है कि बाल विवाह के खिलाफ यह अभियान 2026 तक जारी रहेगा। उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार असम में मातृ-शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा है और इसका कारण बाल विवाह है।

इंकलाब (28 फरवरी) के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपियों को रखने के लिए स्टेडियम को अस्थाई जेलों में बदल दिया गया है। धुबरी कस्बे में बाल विवाह के आरोप में पकड़े गए एक व्यक्ति की मां अपनी बहु के साथ सड़क पर भीख मांगती नजर आई है। आइशा नामक इस महिला ने संवाददाताओं को बताया कि उसके 22 वर्षीय बेटे लालचन बादशाह का निकाह जब पिछले वर्ष हुआ था, तो पुत्रवधु नाबालिग थी। अब वह 19 वर्ष की हो चुकी है, मगर पुलिस ने इस महिला के पति और बेटे दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित महिलाएं पुलिस थानों पर प्रदर्शन कर रही हैं। पुलिस ने चेतावनी दी है कि

अगर प्रदर्शनों का यह सिलसिला जारी रहा तो गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इत्तेमाद (7 फरवरी) ने अपने संपादकीय में असम में चलाए जा रहे अभियान की निंदा की है और कहा है कि सरकार जानबूझकर मुसलमानों को परेशान कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सरकार का यह तानाशाही फैसला है। अगर असम सरकार बाल विवाह को रोकने के लिए गंभीर है, तो उसे सबसे पहले सामाजिक जागृति पैदा करनी चाहिए थी। भाजपा सरकार की इस कार्रवाई का लक्ष्य सिर्फ मुसलमानों को परेशान करना है। इसलिए सरकार को बसे-बसाए घरों को उजाड़ने के अभियान को तुरंत बंद कर देना चाहिए।

सालार (4 फरवरी) के अनुसार ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष मौलाना बदरूद्दीन अजमल ने मुख्यमंत्री पर यह आरोप लगाया है कि वे जानबूझकर मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें से 90 प्रतिशत मुसलमान हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस की मुस्लिम विरोधी नीतियां किसी से छिपी हुई नहीं है।

मुंबई उर्दू न्यूज (10 फरवरी) के अनुसार इस अभियान के खिलाफ राज्य भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। असम में एक महिला ने अपने पिता की गिरफ्तारी के भय से आत्महत्या कर ली है। विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि वह जानबूझकर मुसलमानों को निशाना बना रही है।

रोजनामा सहारा (10 फरवरी) ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर एक लेख प्रकाशित किया है, जिसमें दावा किया गया है कि असम सरकार मुसलमानों को परेशान करने के लिए जानबूझकर बाल विवाह निरोधक कानून और बच्चों के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए बनाए गए कानून के तहत गिरफ्तार कर रही है। हिमंत बिस्वा शर्मा इस बहाने बहुसंख्यकों के वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने इस अभियान को 2026 में होने वाले राज्य विधानसभा के चुनाव तक जारी रखने का फैसला किया है। लेखक ने दावा किया है कि असम में सिर्फ तीन प्रतिशत ऐसे विवाह होते हैं, जिनमें लड़कियों की उम्र 18 वर्ष से कम होती है। जबकि गुजरात जैसे राज्य में ऐसी शादियों का अनुपात 5 प्रतिशत है। मगर आज तक देश के अन्य राज्यों की सरकारों ने इस तरह का कोई अभियान नहीं चलाया।

इसी समाचारपत्र ने इसी अंक में एक संपादकीय का शीर्षक दिया है, 'गैरकानूनी पतियों के खिलाफ अभियान'। इस संपादकीय में आरोप लगाया गया है कि बेचारे मुसलमान असम सरकार के निशाने पर हैं और ढ़ाई हजार से ज्यादा पतियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। थानों और जेलों में उन्हें रखने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए अस्थाई जेलें बनाई जा रही हैं। जो लोग पकड़े जा रहे हैं, वे बेहद गरीब और अपने परिवार के एक मात्र कमाने वाले हैं। खास बात यह है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में अधिकांश संख्या मुसलमानों की है। गिरफ्तारी के बाद सैकड़ों घरों के चूल्हे बुझ गए हैं। परेशान लोग थानों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन उनकी बेबसी पर न तो सरकार तरस खा रही है और न ही कोई समाज कल्याण संगठन ही सामने आ रहा है।

समान नागरिक संहिता की आड़ में मुसलमानों को गुमराह करने का प्रयास

भारत सरकार ने हालांकि यह घोषणा की है कि फिलहाल समान नागरिक संहिता को लागू करने की कोई योजना नहीं है, मगर इसके बावजूद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मुद्दे पर अल्पसंख्यकों को सरकार के खिलाफ भड़काने की निरंतर कोशिश कर रहा है।

इत्तेमाद (6 फरवरी) के अनुसार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक अधिवेशन लखनऊ में संपन्न हुआ, जिसमें इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि इस अधिवेशन में इस बात पर विचार किया गया है कि अगर समान नागरिक संहिता को अल्पसंख्यकों पर लागू किया गया तो उसका देश पर बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि इस देश में विभिन्न धर्मों के अनुयायी और विभिन्न जात-पात से संबंधित लोग रहते हैं।

रोजनामा सहारा (6 फरवरी) के अनुसार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार से अपील की है कि वह समान नागरिक संहिता को देश में लागू करने के इरादे को छोड़ दे। बोर्ड ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित करके कहा है कि भारतीय संविधान में इस देश के सभी नागरिकों को अपने धर्म, आस्था और रस्मो-रिवाज का अनुसरण करने की अनुमति दी गई है। ऐसी स्थिति में अगर इस देश में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाता है, तो वह संविधान का उल्लंघन होगा। इसलिए सरकार को आम नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर उन पर समान नागरिक संहिता को

लादा जाता है, तो यह अलोकतांत्रिक और संविधान के खिलाफ होगा।

समाचारपत्र ने कहा है कि इस प्रस्ताव में इस बात पर चिंता प्रकट की गई कि देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के मामले पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में भी राज्य सरकारों ने इसे लागू करने के लिए कमेटियां बनाई हैं। इसी को देखते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मामले पर विचार करने के लिए कमेटी का गठन किया है, जो इस समस्या के समाधान के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, दलित तथा पिछड़ी जातियों के नेताओं और उनके बुद्धिजीवियों से बातचीत करके इसके खिलाफ एक वातावरण बनाएगी। क्योंकि, यह मामला सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका अन्य अल्पसंख्यकों और आदिवासियों आदि पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर सरकार अपनी जिद्द पर अड़ी रहती है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अन्य अल्पसंख्यक एवं दलित संगठनों के सहयोग से देश भर में इसके खिलाफ सत्याग्रह करेगा और इस मामले को अदालत तक ले जाएगा।

रोजनामा सहारा (5 फरवरी) के अनुसार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि चुनावों से पूर्व भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने का वायदा किया था और इस मामले पर विचार करने के लिए एक कमेटी भी बनाई थी। इस कमेटी द्वारा समान नागरिक संहिता का एक प्रारूप तैयार किया जा रहा है।

इंकलाब (3 फरवरी) के अनुसार केंद्रीय विधि मंत्री किरेण रिजिजू ने राज्यसभा में बताया कि देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। उन्होंने एक लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया कि 21वें विधि आयोग से अनुरोध किया गया था कि वह समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के बाद अपनी सिफारिशें इस संबंध में पेश करे।

गौरतलब है कि 21वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के संबंध में अपनी सिफारिश में कहा था कि देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि इससे नए विवाद पैदा होंगे। इसलिए इस समय न तो समान नागरिक संहिता को लागू करने

की जरूरत है। न ही इसकी कोई उपयोगिता है। आयोग ने इसके अतिरिक्त पर्सनल लॉ में सुधार करने और असमानता से निपटने के लिए उचित संसोधन करने का सुझाव दिया था। उसने इस बात का भी सुझाव दिया था कि इन विसंगतियों को दूर करने के लिए कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

गौरतलब है कि भाजपा समान नागरिक संहिता के मामले को वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल करती आ रही है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में समान नागरिक संहिता को लागू करने की घोषणा भी की गई थी। उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन भी किया था। भाजपा के एक राज्यसभा सदस्य किरोड़ीलाल मीणा ने राज्यसभा में इस संबंध में एक प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किया था।

हालांकि इससे पूर्व केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक शपथपत्र दाखिल करके देश में समान नागरिक संहिता पर किसी फैसले का विरोध किया था और इस संदर्भ में याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय की याचिका को रद्द करने की मांग की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि वह कोई कानून बनाने के लिए सरकार को निर्देश नहीं दे सकती, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है।

अल्पसंख्यकों को अपनी ओर लाने के लिए भाजपा का अभियान

सियासत (2 फरवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों को भाजपा के नजदीक लाने के लिए भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा देश भर में लोकसभा की उन 60 सीटों पर जन जागरण अभियान चलाएगा, जिनमें अल्पसंख्यक और विशेष

रूप से मुसलमान किसी भी पार्टी के उम्मीदवार की जीत में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह अभियान चार महीने तक जारी रहेगा। इस कार्यक्रम का लक्ष्य मुसलमानों को मोदी सरकार की विकास योजनाओं से अवगत करवाना है। मुसलमानों में भाजपा से संबंधित जो गलतफहमियां हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा और विशेष रूप से पसमांदा मुसलमानों को भाजपा की ओर आकर्षित करने की तरफ ध्यान दिया जाएगा। उन्हें यह बताया जाएगा कि भाजपा और आरएसएस उनसे कोई द्वेष नहीं रखते, बल्कि उनका विकास और खुशहाली चाहते हैं।

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है, जो बिना धर्म और जात-पात को देखते हुए हर वर्ग का कल्याण और विकास चाहती है। अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत इसी महीने से की जा रही है। इस सिलसिले में अल्पसंख्यक बिरादरी के पांच हजार प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची तैयार की गई है, जिसमें धार्मिक विद्वान, बुद्धिजीवी, व्यापारी एवं उद्योगपति आदि शामिल हैं। उनमें ऐसे साहित्य का भी वितरण किया जाएगा, जिसमें मोदी सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों की कल्याण योजनाओं का विवरण होगा और उनसे यह अनुरोध किया जाएगा कि वे इसका प्रचार अपने-अपने क्षेत्र में करें।

इसके साथ ही अल्पसंख्यक बहुल लोकसभा क्षेत्रों को चिन्हित किया जा रहा है। अब तक उत्तर प्रदेश के 13, पश्चिम बंगाल के 13 और केरल के 10 क्षेत्रों को चिन्हित किया जा चुका है। राहुल गांधी के लोकसभा क्षेत्र वायनाड पर भी अल्पसंख्यक मोर्चा ज्यादा ध्यान देगा और यह कोशिश करेगा कि कांग्रेस का वोट बैंक कमजोर हो और अल्पसंख्यक विशेष रूप से मुसलमान भाजपा की ओर आएं। इस सिलसिले में जम्मू-कश्मीर के पांच क्षेत्रों- बारामूला, अनंतनाग, श्रीनगर, लद्दाख और उधमपुर में भाजपा के पक्ष में विशेष अभियान चलाया जाएगा और विपक्षी दलों द्वारा भाजपा के खिलाफ जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसका निराकरण किया जाएगा।

सालार (6 फरवरी) के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा हिंदू-मुस्लिम समरसता का जो प्रयास किया जा रहा है, उसकी अगली बैठक अप्रैल महीने में होने की संभावना है। इससे पूर्व संघ और मुस्लिम चिंतकों के बीच दो बार मुलाकातें हो चुकी हैं। इन प्रयासों की शुरुआत गत वर्ष अगस्त महीने में हुई थी। इसके बाद इस वर्ष के जनवरी महीने में दिल्ली में एक अन्य बैठक का आयोजन किया गया। अब अगली बैठक दिल्ली में ही होने की संभावना है।

आरएसएस द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच समरसता और भाईचारे की भावना पैदा हो, आपसी मतभेदों को दूर किया जाए और दोनों पक्षों के बीच के संबंधों को मजबूत बनाया जाए। संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि हम किसी चुनावी लाभ के लिए यह प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उन सभी लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, जो समाज के इन दोनों वर्गों को एक दूसरे के नजदीक लाना चाहते हैं। मुसलमान भी यह चाहते हैं कि हिंदुओं के साथ समरसता और भाईचारा बढ़े। उन्होंने कहा कि हम इस अभियान के सिलसिले में गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर इमामों, मस्जिद कमेटियों, चिंतकों और व्यापारी वर्ग तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और वार्तालाप के इस सिलसिले को हम जारी रखना चाहते हैं।

म्यांमार में इमरजेंसी की अवधि में वृद्धि

अवधनामा (3 फरवरी) के अनुसार म्यांमार में सत्तारूढ़ सेना ने वहां की नेता आंग सान सू की की नजरबंदी में छह महीने की वृद्धि करने के साथ-साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को भारी संख्या में जेल में डाल दिया है। इसके बाद देश में आपातकाल की अवधि में छह महीने की और वृद्धि करने की घोषणा की गई। इस फैसले का अमेरिका ने विरोध किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि म्यांमार में सेना ने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को अपदस्थ करने के बाद जिस तरह से सत्ता पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, उसकी अमेरिका निंदा करता है और अमेरिका म्यांमार की जनता का समर्थन पहले की तरह करता रहेगा।

गौरतलब है कि म्यांमार की सेना ने फरवरी 2021 में यह आरोप लगाया था कि म्यांमार में जो आम चुनाव हुए हैं, उसमें धांधली की गई है। इसके बाद भविष्य में निष्पक्ष वातावरण में चुनाव करवाने के नाम पर राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं को अपदस्थ करके सेना ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। इसके बाद सेना ने एक साल के लिए देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। म्यांमार की जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली के लिए सेना के साथ संघर्ष कर रही है और अब तक नागरिकों और सैनिकों के बीच झड़पों में कम-से-कम 1500 लोग मारे जा चुके हैं और 13 हजार से अधिक लोग जेलों में बंद हैं। हाल ही में म्यांमार की सैनिक अदालतों ने डेढ़ सौ से अधिक राजनीतिक बंदियों को फांसी की सजा सुनाई है, जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन के खिलाफ अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने म्यांमार पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं।

म्यांमार से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह आरोप लगाया है कि सेना इस बात का प्रयास कर रही है कि कानूनी हैसियत प्राप्त करने के लिए देश में बनावटी चुनाव करवाकर सत्ता पर कब्जा किया जाए। म्यांमार में अखबारों पर सेंसर लगाया जा चुका है। हाल ही में सैनिक तानाशाहों ने आगामी

चुनाव में भाग लेने के लिए जो नियम बनाए हैं, उसका एक मात्र लक्ष्य यह है कि सेना के विरोधी राजनीतिक दल चुनाव में भाग न ले सकें। एक अमेरिकी संस्था ने यह दावा किया है कि जब से म्यांमार की सेना सत्ता पर काबिज हुई है, तब से अब तक 3 हजार से अधिक नागरिक मारे जा चुके हैं और 20 से 22 हजार लोगों को जेलों में बंद किया जा चुका है।

इत्तेमाद (2 फरवरी) के अनुसार अमेरिका ने म्यांमार की सैनिक सरकार से जुड़े हुए छह व्यक्तियों और तीन संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अतिरिक्त अमेरिकी सरकार ने इस बात पर संतोष प्रकट किया है कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया

और कनाडा ने भी म्यांमार पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा कि जब से सेना ने म्यामार में सत्ता संभाली है, तब से हम म्यांमार के 80 महत्त्वपूर्ण लोगों और 30 संस्थानों पर आर्थिक प्रतिबंध लगा चुके हैं।

तालिबान ने किया भारतीय बजट का स्वागत

हमारा समाज (4 फरवरी) के अनुसार तालिबान ने भारत सरकार के बजट का स्वागत किया है और कहा है कि भारत ने अफगानिस्तान को जो आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, उससे दोनों देशों के बीच संबंध और अधिक मजबूत होंगे। अफगान मीडिया के अनुसार भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अफगानिस्तान को 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता देने की घोषणा की है। जब से तालिबान अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ हुए हैं, भारत उनको निरंतर आर्थिक सहायता देता आ रहा है। जब 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान सत्तारूढ़ हुए थे, तो अफगानिस्तान और भारत के संबंध तनावपूर्ण हो गए थे और भारत की ओर से वहां पर जो विकास कार्य किए जा रहे थे, वे भी ठप हो गए थे। बाद में दोनों सरकारों के बीच संबंधों में सुधार हुआ और अफगानिस्तान में भारत की सहायता से चलाए जा रहे विकास कार्यक्रमों को पुनः शुरू कर दिया गया। हाल ही में अफगानिस्तान में खाद्य संकट को देखते हुए भारत सरकार ने मानवीय आधार पर अफगानिस्तान को 50 हजार मीट्रिक टन गेहूं भी उपलब्ध कराया था।

इत्तेमाद (1 फरवरी) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ ने चेतावनी दी है कि अफगान सरकार

द्वारा महिलाओं पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण, मानवीय आधार पर उसे विश्व द्वारा मिलने वाली सहायता पर बुरा असर पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवीय सहानुभूति विभाग के प्रमुख ने कहा कि उन्होंने अफगानिस्तान सरकार के विदेश एवं वित्त मंत्री से मुलाकात करके उनसे अनुरोध किया था कि वे अफगानिस्तान में महिलाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों को वापस लें। मगर अभी तक इस संबंध में वहां की सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। वहां पर लड़कियों के लिए सिर्फ प्राथमिक शिक्षा की ही व्यवस्था करने की अनुमति दी गई है। महिलाओं की नौकरियों और उच्च शिक्षा पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, अगर उन्हें नहीं हटाया गया, तो इससे अफगानिस्तान के विकास पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

अवधनामा (7 फरवरी) के अनुसार अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान छोड़ते समय वहां पर अस्त्र-शस्त्रों के जो भंडार छोड़े थे, उन पर अब रूस की नजर है। रूस उन हथियारों को यूक्रेन के युद्ध में इस्तेमाल करना चाहता है। अमेरिकी सैनिक विशेषज्ञों के अनुसार इन हथियारों की कीमत सात अरब डॉलर से भी अधिक बताई जाती है। अमेरिकी सूत्रों के अनुसार जब अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान को खाली किया था, तो उनके 70 प्रतिशत हथियार वहीं रह गए थे, जिन पर अफगान सेना ने कब्जा कर लिया था। इस समय अफगान सेना के पास अमेरिका द्वारा वहां छोड़े गए 48 मिलियन डॉलर का अस्त्र-शस्त्र है। इनमें 35 हजार से अधिक वाहन हैं। हालांकि अमेरिकी विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी सेना द्वारा वहां जो अत्याधुनिक अस्त्र-शस्त्र छोड़े गए थे, उनकी तकनीक बहुत जटिल है और अफगान सेना द्वारा उनके इस्तेमाल करने की संभावना नहीं है। मगर इसके बावजूद इस बात की संभावना है कि वे इन अस्त्र-शस्त्रों को रूस के हवाले कर देंगे।

पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान

इंकलाब (1 फरवरी) के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादी संगठनों के खिलाफ देशव्यापी अभियान तेज कर दिया है। गुप्त सूचनाओं के आधार पर पाकिस्तानी सेना ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला स्वाबी और डेरा इस्माइल खान में आतंकवादियों के अनेक ठिकानों पर छापे मारे, जिनमें कम-से-कम चार आतंकवादी मारे गए। स्वाबी जिले के पुलिस अधिकारी नजमुल हसन के अनुसार सैनिकों द्वारा जब आतंकवादियों के ठिकानों को चारों तरफ से घेर लिया गया, तो चार आतंकवादियों ने स्वयं को धमाके से उड़ा लिया। जबकि दो आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। इस हमले में कुछ पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए, जिनका

इलाज किया जा रहा है। डेरा इस्माइल खान के तहसील कुलाची में सेना और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 12 आतंकवादी मारे गए। इस मुठभेड़ में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं।

रोजनामा सहारा (10 फरवरी) के अनुसार डेरा इस्माइल खान में कम-से-कम छह स्थानों पर आतंकवादियों और पुलिस के बीच झड़पें हुईं। समाचारपत्रों के अनुसार आधुनिक हथियारों से लैश आतंकवादियों ने दो पुलिस थानों पर हमला किया और कई पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद अस्त्र-शस्त्र के भंडारों को लूट लिया। पाकिस्तान सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान में आतंकवादियों की गतिविधियों में वृद्धि हुई है। पेशावर पुलिस लाइन की मस्जिद में हुए धमाके में पहले 100 पुलिसकर्मियों के मारे जाने की सूचना थी। तब यह दावा किया गया था कि इस हमले के पीछे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का हाथ है, मगर बाद में सरकार ने यह दावा किया कि इस हमले में कुछ स्थानीय आतंकवादी गिरोहों का हाथ था।

पाकिस्तान सरकार के अनुसार तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान से गहरे रिश्ते हैं। पिछले वर्ष पाकिस्तान में 100 से अधिक आतंकवादी हमले हुए, जिनमें काफी लोग मारे गए। तहरीक-ए-तालिबान ने नवंबर 2022 में पाकिस्तान सरकार और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के बीच युद्धविराम को खत्म करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद आतंकवादी हमलों में भारी वृद्धि हुई है। बन्नू में आतंकवादियों के हमले में एक पुलिस कप्तान और उसके चार अंगरक्षक मारे गए। पाकिस्तानी सेना वजीरिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादियों के खिलाफ सघन ऑपरेशन कर रही है। पाकिस्तान सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि गत छह महीने में आतंकवादियों ने 118 पुलिसकर्मियों की हत्या की है और 117 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ■

बांग्लादेश को पौने पांच अरब डॉलर का कर्ज

रोजनामा सहारा (2 फरवरी) के अनुसार बांग्लादेश के आर्थिक संकट को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बांग्लादेश को पौने पांच अरब डॉलर कर्ज देने की घोषणा की है, जिसमें से 50 करोड़ डॉलर तत्काल बांग्लादेश को दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक अरब 40 करोड़ डॉलर का कर्ज वहां पर आई हुई बाढ़ को देखते हुए भी दिया जा रहा है। यह पहला एशियाई देश है, जिसे इस तरह का कर्ज दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि वर्तमान वित्त वर्ष में बांग्लादेश का चालू खाते का घाटा 19 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। क्योंकि, तेल के मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण बांग्लादेश में कपड़ों के निर्यात में गिरावट आई है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा

कोष के दबाव पर हाल ही में बांग्लादेश को बिजली के मूल्यों में पांच प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ी है।

रोजनामा सहारा (4 फरवरी) के अनुसार बांग्लादेश ने सऊदी अरब से पेट्रोल उधार में लिया है। बांग्लादेश सरकार ने सऊदी सरकार से अनुरोध किया था कि बढ़ते हुए आर्थिक संकट से निपटने के लिए उसे उधार पेट्रोल की सप्लाई की जाए, जिसे सऊदी अरब सरकार ने स्वीकार कर लिया है। बांग्लादेश बाद में इसकी कीमत किस्तों में चुकाएगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति एशियाई देशों में सबसे सुदृढ़ बताई जाती थी, मगर रूस यूक्रेन युद्ध के कारण खाद्यान और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के चलते बांग्लादेश को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश की करेंसी टका का मूल्य अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में हाल ही में 25 प्रतिशत कम हुआ है, जिसके कारण उर्जा संकट पैदा हो गया है। इस संकट से निपटने के लिए हाल ही में सरकार ने कुछ करों में वृद्धि की थी, जिसका जनता द्वारा विरोध किया जा रहा है और देश भर में उग्र प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। बांग्लादेश सरकार के प्रवक्ता के अनुसार गत वर्ष जनवरी महीने में विदेशी मुद्रा भंडार, जो 46 अरब डॉलर था, वह अब घटकर 32 अरब डॉलर ही रह गया है।

बाइडेन के दूसरे निवास से कोई गुप्त दस्तावेज नहीं मिली

इत्तेमाद (3 फरवरी) के अनुसार अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने यह सूचना दी है कि उसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निवास स्थान से तलाशी के दौरान कोई गुप्त दस्तावेज नहीं मिला है। मगर बाइडेन के निजी वकील बॉब बाउर का दावा है कि एफबीआई के एजेंट राष्ट्रपति के घर से जांच के लिए कुछ दस्तावेज अपने साथ ले गए हैं। वकील ने कहा है कि राष्ट्रपति के निजी आवास की पांच घंटे तक तलाशी ली गई। मगर उनके हाथ कोई महत्त्वपूर्ण गुप्त दस्तावेज नहीं लगे।

इससे पूर्व पिछले महीने राष्ट्रपति के एक अन्य निजी आवास की तलाशी के दौरान एफबीआई के एजेंटों के हाथ कुछ महत्त्वपूर्ण दस्तावेज लगे थे। ये दस्तावेज तब के थे, जब बाइडेन उपराष्ट्रपति थे। न्याय विभाग ने इस बात

की पुष्टि की है कि इन छापों के बारे में राष्ट्रपति को पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। इससे पूर्व 20 जनवरी को एफबीआई ने बाइडेन के विलमिंगटन स्थित बंगले की 13 घंटे तक तलाशी ली थी। इस दौरान एफबीआई के एजेंटों ने कुछ गुप्त दस्तावेज और बाइडेन के हाथ से लिखे कुछ नोट भी अपने कब्जे में लिए थे। एफबीआई ने इस बात की पुष्टि की है कि राष्ट्रपति के निजी कार्यालय और घर से 20 से अधिक गुप्त दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनकी जांच की जा रही है।

गौरतलब है कि इससे पूर्व एफबीआई ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के फ्लोरिडा स्थित आवास पर छापा मारकर 320 गुप्त दस्तावेज बरामद किए थे, जिनकी जांच की जा रही है। इसके अतिरिक्त ट्रम्प के सहयोगी उपराष्ट्रपति माइक पेंस के घर से भी कुछ गुप्त दस्तावेज बरामद हुए। अमेरिकी कानून के अनुसार इन तीनों नेताओं (बाइडेन, ट्रम्प और पेंस) को अपने पद से सेवानिवृत होने से पूर्व उन्हें सभी गुप्त दस्तावेजों को अमेरिका के नेशनल आर्काइव के हवाले करना था, जोकि उन्होंने नहीं किया।

बाइडेन और उनके वकीलों ने सफाई दी थी कि उन्होंने कोई दस्तावेज जानबूझकर अपने पास नहीं रखी थी। मगर यह हकीकत है कि बाइडेन के कब्जे से भी गुप्त दस्तावेजों की बरामदगी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के अगले चुनाव में बाइडेन के हाथ से ट्रम्प के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाला एक राजनीतिक हथियार निकल गया है। बाइडेन ने ट्रम्प के घर से बरामद गुप्त दस्तावेजों के मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह ट्रम्प की गैर-जिम्मेवाराना हरकत है। वे राष्ट्रपति का पद छोड़ने के बाद जानबूझकर गुप्त दस्तावेज अपने साथ ले गए थे। इसलिए सरकार को अदालत से ट्रम्प के घर की तलाशी के लिए वारंट प्राप्त करना पड़ा था।

एफबीआई के एजेंटों ने यह दावा किया था कि पिछले वर्ष ट्रम्प के घर की तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 400 के लगभग गुप्त दस्तावेज बरामद हुए थे, जोकि उन्होंने अपनी कार्य अवधि समाप्त होने के बाद भी प्रशासन को वापस नहीं लौटाए थे। ट्रम्प ने यह आरोप लगाया था कि वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने जानबूझकर उन्हें इस मामले में फंसाया था, ताकि वे इस मामले की आड़ लेकर मुझे 2024 के चुनाव में भाग लेने से रोक सकें।

पश्चिम एशिया

भूकंप के कारण तुर्की और सीरिया में हजारों लोग हताहत

तुर्की और सीरिया में जो भीषण भूकंप आया था, उसमें मरने वालों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। बीबीसी के अनुसार अब तक 22 हजार लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है और एक लाख से अधिक लोग घायल हुए हैं। मरने वालों की संख्या में और भी वृद्धि होने की संभावना है।

सालार (8 फरवरी) के अनुसार भीषण सर्दी के कारण ध्वस्त इमारतों में दबे हुए लोगों को मलबे से निकालने में राहत टीमों को भारी परेशानी हो रही है। जगह-जगह पर जमीन फट गई है। इसके कारण आवागमन में भी अनेक तरह की मुश्किलें हो रही हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने देश में तीन महीने की इमरजेंसी की घोषणा की है। भूकंप पीड़ितों के लिए दुनिया भर से सहायता की टीमें पहुंच रही हैं। तुर्की की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने कहा है कि 25 हजार बचाव और राहत कार्यकर्ता तैनात किए गए हैं। 50 हजार टेंट, 10 हजार बिस्तर और तीन लाख कंबल भूकंप पीड़ितों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। तुर्की के दस सूबे भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। तुर्की की सरकार ने कहा है कि 70 देशों ने सहयोग करने की पेशकश की है। तुर्की में चारों तरफ शव बिखरे हुए हैं और मलबे में फंसे हुए घायल चिल्ला रहे हैं।

रोजनामा सहारा (8 फरवरी) के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की में आए भूकंप पर तुर्की सरकार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है और भारत से विशेष वायुयान द्वारा सहायता टीमें भेजी गई हैं, जिनमें महिलाएं और पुरूष के अतिरिक्त मलबे में फंसे हुए लोगों का पता लगाने वाले प्रशिक्षित कुत्ते, मेडिकल उपकरण, ड्रिलिंग के आधुनिकतम यंत्र आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आगरा स्थित आर्मी फिल्ड अस्पताल से तीन मेडिकल टीमें भी भेजी गई हैं। ये टीमें चिकित्सा उपकरण, एक्स-रे मशीनें, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र आदि लेकर अपने साथ गए हैं। बताया जाता है कि अभी तक 100 से अधिक लोग तुर्की और सीरिया भेजे जा चुके हैं और 300 अन्य लोगों को भेजे जाने का प्रबंध किया जा रहा है।

गौरतलब है कि तुर्की में भूकंप के तीन झटके आए हैं, जिनकी तीव्रता 7.8, 7.6 और 6 हैं। तुर्की ने सात दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। इजरायल और लेबनान में भी कुछ क्षति हुई है। भारत ने दो विशाल विमान सीरिया भी भेजे हैं। इसके अतिरिक्त 60 फिल्ड अस्पतालों की टीमों को भी सीरिया भेजा गया है। भारत में तुर्की के राजदूत ने कहा है कि भूकंप के कारण दक्षिण पूर्वी तुर्की में डेढ़ करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने भारत का इस बात के लिए आभार व्यक्त किया है कि वह इस नाजुक घड़ी में तुर्की की सहायता कर रहा है। विदेश राज्यमंत्री वी. मुरलीधरन ने दिल्ली स्थित सीरिया के दूतावास का दौरा किया और उन्होंने सीरिया को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है।

रोजनामा सहारा (7 फरवरी) के अनुसार रूस ने भी तुर्की को सहायता भेजनी शुरू कर दी है और 370 लोगों की टीमों को तुर्की रवाना किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा है कि अमेरिका तुर्की को इस नाजुक घड़ी में हर तरह की सहायता उपलब्ध कराएगा।

इंकलाब (8 फरवरी) के अनुसार दुबई के शासक ने भूकंप पीड़ितों के लिए एक करोड़ 36 लाख डॉलर सहायता उपलब्ध करवाई है। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि सहायता के इस सिलसिले को जारी रखा जाएगा। सायप्रस की ओर से भी विशेष सहायता उपलब्ध कराई गई है। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने राहत कार्य में माहिर 100 व्यक्तियों की टीम को उपकरणों और विशेष वाहनों के साथ तुर्की भेजा है। तुर्कमेनिस्तान, बेलारूस, फ्रांस, जर्मनी, जापान, चीन, मैक्सिको, हंगरी और पाकिस्तान ने भी बचाव और राहत टीमें भेजी हैं। मध्यपूर्व के 12 देशों ने भी तुर्की की सहायता करने की घोषणा की है। सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने तुर्की के राष्ट्रपति को यह आश्वासन दिया है कि सऊदी अरब अपने भाई के साथ खड़ा है और वह उसे हर तरह की सहायता उपलब्ध कराएगा।

देश के अधिकांश उर्दू अखबारों ने नागरिकों से अपील की है कि वे संकट के इस घड़ी में अपने मुस्लिम भाईयों की सहायता के लिए मैदान में आएं।

मुंबई उर्दू न्यूज (8 फरवरी) के अनुसार इजरायल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भूकंप से होने वाली तबाही पर सीरिया के राजनयिक ने इजरायल से सहायता मांगी थी और इसके बाद इजरायल ने सहायता भेजनी शुरू कर दी थी। मगर सीरिया ने इजरायल के इस दावे का खंडन किया है और कहा है कि दुश्मन का मीडिया अपने प्रधानमंत्री के इशारे पर अरब देशों के खिलाफ प्रोपगंडा का अभियान चला रहा है। सीरिया ऐसे देश से कैसे सहायता मांग सकता है, जो दशकों से सीरिया के लोगों का नरसंहार कर रहा है। ■

सूडान इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करेगा

मुंबई उर्दू न्यूज (3 फरवरी) के अनुसार इजरायल के प्रमुख अखबार 'हारेत्ज' के अनुसार एक उच्च इजरायली अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि सूडान के साथ इजरायल का राजनयिक संबंध शीघ्र ही स्थापित होने की संभावना है। पिछले कुछ समय से अमेरिका की प्रेरणा से दोनों देशों में उच्चस्तरीय वार्ता हो रही थी, जोकि सरकारात्मक रही है। अब इस बात की संभावना है कि सूडान भी 'अब्राहम समझौते' में शामिल होगा। गौरतलब है कि 'अब्राहम समझौते' की शुरुआत अमेरिका के सहयोग से इजरायल और कुछ अरब देशों के बीच हुई थी। इसके बाद बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात भी इस समझौते में शामिल हुए।

इंकलाब (5 फरवरी) के अनुसार इजरायल द्वारा सूडान को 'अब्राहम समझौते' में शामिल किए जाने का जो संकेत दिया गया है, उसकी हमास ने निंदा की है और कहा है कि यह इस्लाम के खिलाफ है। हमास ने सूडान सरकार से मांग की है कि वह अमेरिका की कठपुतली न बने। इस समझौते से मुस्लिम और इस्लामिक एकता को चोट पहुंचेगी। गौरतलब है कि सूडान की संप्रभुता परिषद के प्रमुख अब्देल फतह अल-बुरहान से इजरायल के विदेश मंत्री ने हाल ही में मुलाकात की थी और इस मुलाकात में यह तय किया गया था कि सूडान इजरायल को मान्यता देगा और दोनों देशों के बीच आर्थिक और पर्यटन के संबंधों को बढ़ावा दिया जाएगा।

ईरान में हजारों कैदियों को माफी देने की घोषणा

इत्तेमाद (7 फरवरी) के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने हाल ही में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में भाग लेने वाले हजारों कैदियों को आम माफी देने का ऐलान किया है। इस माफी की सुविधा ऐसे कैदियों को नहीं होगी, जिनके पास दोहरी नागरिकता है। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार और तस्करी के आरोपों में जो लोग जेलों में बंद हैं, उन्हें भी माफी नहीं दी जाएगी। हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोप में ईरान के चार उच्चाधिकारियों को एक गुप्त जेल में फांसी पर लटकाया जा चुका है। जिन लोगों पर विदेशी ताकतों के इशारे पर ईरान में अशांति फैलाने के आरोप हैं, उन्हें भी जेल से मुक्त नहीं किया जाएगा। बताया जाता है कि ईरान ने यह फैसला विश्व के विभिन्न देशों के दबाव के बाद किया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार

सितंबर महीने में कुर्द युवती महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शनों का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वह अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक इन विरोध प्रदर्शनों में एक हजार से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 100 के लगभग बच्चे भी शामिल हैं। जबकि 20-25 हजार लोग इस समय जेलों में बंद हैं। इसके अतिरिक्त कई लोगों को फांसी पर भी लटकाया जा चुका है।

अयातुल्लाह खामेनेई ने 1979 की इस्लामी क्रांति की वर्षगांठ के मौके पर इस आम माफी की घोषणा की है।

इत्तेमाद (1 फरवरी) के अनुसार ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अमेरिका को यह चेतावनी दी है कि वह ईरान को धमकियां देने का सिलसिला बंद करे, वरना इसके गंभीर परिणाम होंगे। अमेरिकी सरकार को यह बात भलीभांति जान लेनी चाहिए कि ईरान अपने देश और हितों के खिलाफ किसी भी तरह की आक्रामकता को कभी सहन नहीं करेगा और ऐसी हरकतें करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान में हाल ही में जो सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए हैं, उनके पीछे अमेरिका और उसके सहयोगियों का हाथ है।

इत्तेमाद (5 फरवरी) के अनुसार ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अमेरिका द्वारा इल्हान उमर नामक मुस्लिम महिला को विदेश मामलों की कमेटी से निष्कासित करने की निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह कदम अमेरिका ने मुसलमानों की आवाज को दबाने के लिए उठाया है। गौरतलब है कि गत दिनों इजरायल के खिलाफ सक्रिय महिला सांसद इल्हान उमर को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक प्रस्ताव पारित करके इस कमेटी से निष्कासित किया गया है।

रोजनामा सहारा (2 फरवरी) के अनुसार ईरान की एक अदालत ने तेहरान के मुख्य स्मारक 'आजादी टावर' के सामने नृत्य करने वाले एक जोड़े को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। शरई अदालत के अनुसार अस्तियाज हघीघी और उसके मंगेतर अमीर मोहम्मद अहमदी अश्लील नृत्य कर रहे थे। महिला ने शरीर पर हिजाब नहीं पहना हुआ था। गौरतलब है कि ईरान में महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर नृत्य करने की अनुमति नहीं है। इनके परिवारजनों ने यह आरोप लगाया है कि उन्हें अदालत में अपना बचाव करने से वंचित रखा गया है और वकीलों की भी सुविधा प्रदान नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त उन्हें जमानत पर रिहा करने से भी इंकार कर दिया गया है। इस जोड़े को ईरान के सबसे बदनाम कर्चक जेल में रखा गया है।

रोजनामा सहारा (6 फरवरी) के अनुसार ईरान सरकार ने बिना हिजाब के अपने घरों से बाहर निकलने वाली महिलाओं के लिए कड़ी सजा और जुर्माने की घोषणा की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार उन्हें गिरफ्तार करने से पहले चेतावनी दी जाएगी। इसके बावजूद अगर वे हिजाब नहीं पहनती हैं, तो उनका पहचान पत्र जब्त कर लिया जाएगा और उन्हें सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। ईरान सरकार ने एक नया कानून लागू करने की घोषणा की है, जिसके तहत महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनना अनिवार्य होगा और जो इस निर्देश का उल्लंघन करेगा, उसे कैद के साथ जुर्माने की भी सजा दी जाएगी।

सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री डालने के आरोप में मॉडल गिरफ्तार

इंकलाब (5 फरवरी) के अनुसार इराक सरकार ने सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो वायरल करने के आरोप में इराक की विख्यात महिला मॉडल असल हुसाम को गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी से इराक के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में खलबली मच गई है। इराक के सुरक्षा मंत्रालय की एक प्रवक्ता ने कहा कि इस मॉडल ने अपना एक अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर डाला था। जब उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ, तो उसने सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक सामग्री सोशल मीडिया पर डाली।

गौरतलब है कि इन दिनों इराक सरकार सोशल मीडिया पर अश्लील और इस्लाम विरोधी सामग्री के खिलाफ अभियान चला रही है। हाल ही में इराक के गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर शरीयत का उल्लंघन करने वाली सामग्री के प्रसारण को रोकने के लिए एक विशेष संस्था की स्थापना की है। गौरतलब है कि सभी अरब देशों में से इराक को सबसे ज्यादा उदारवादी माना जाता है। इराक की राजधानी बगदाद में हालांकि 700 से अधिक मस्जिदें हैं, मगर इसके बावजूद अधिकांश नगरों में रहने वाली महिलाएं परदे और बुर्के का इस्तेमाल नहीं करतीं। उनमें पश्चिमी लिबास का बहुत चलन है। बगदाद के पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर लड़कियां और लड़के इकट्ठे घूमते नजर आ जाते हैं। मगर ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी अधिकांश महिलाएं काली चादरें ओढ़ती हैं और वहां भी बुर्का और हिजाब का चलन नहीं है।

मुस्लिम बहुल देश बुर्किना फासो फ्रांस के चंगुल से मुक्त

रोजनामा सहारा (1 फरवरी) के अनुसार अफ्रीकी मुस्लिम बहुल देश बुर्किना फासो में फ्रांस के इशारे पर काबिज एक सैनिक अधिकारी के खिलाफ अलकायदा के संगठन अल-शबाब ने जो विद्रोह कर रखा था, उसने भीषण रूप धारण कर लिया है। इन

पूर्व एक दिनों इस देश में गृहयुद्ध छिड़ा हुआ है। मुस्लिम देशों द्वारा यह कोशिश की जा रही है कि इस देश को फ्रांस से मुक्ति दिलवाकर वहां इस्लामिक सरकार स्थापित की जाए। यह देश मध्य अफ्रीका में है। दो वर्ष फौजी तानाशाह लेफ्टिनेंट कर्नल

पॉल-हेनरी दमीबा ने निर्वाचित सरकार का तख्ता पलटकर फ्रांस की सहायता से इस देश पर कब्जा कर लिया था। अब इस तानाशाह का तख्ता एक मुस्लिम सैनिक अधिकारी इब्राहिम तरावरे ने पलट दिया है।

इस्लामिक आतंकवादियों के हमलों के कारण कुछ दिनों पूर्व फ्रांस के विदेश मंत्री ने यह घोषणा की थी कि बुर्किना फासो से अपने राजदूत को फ्रांस बुला रहे हैं, ताकि इस देश में डेरा डाली हुई फ्रांसीसी सेना को वापस बुलाने के लिए कोई निर्णय किया जा सके। बुर्किना फासो के नए मुस्लिम शासक इब्राहिम तरावरे ने फ्रांस को चेतावनी दी है कि वह उनके देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बंद करे। क्योंकि फ्रांसीसी सरकार अपदस्थ किए गए पूर्व राष्ट्रपति का समर्थन कर रही है। इस पूर्व राष्ट्रपति ने अपने सत्ताकाल में फ्रांस से यह अनुरोध किया था कि इस देश में सक्रिय इस्लामिक जिहादियों के खिलाफ चलाए जाने वाले सैनिक अभियान में फ्रांसीसी सेना सहयोग दे। इसके बाद फ्रांसीसी सरकार ने पड़ोसी देश माली में तैनात तीन हजार फ्रांसीसी सैनिकों को इस देश में भेजा था। मध्य अफ्रीका के अन्य देशों चाड और नाइजर में भी फ्रांसीसी सैनिक मौजूद हैं।

बताया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी परोक्ष रूप से फ्रांस का समर्थन कर रहा है और रूस का भी उसे समर्थन प्राप्त है। यूरोपीय देशों का दावा है कि अफ्रीका के मुस्लिम बहुल देशों में अलकायदा और उसके सहयोगी संगठन अल-शबाब तथा अल-नासिर इस्लामिक आतंकवाद फैला रहे हैं। इस्लामिक आतंकवाद को कुचलने के लिए पश्चिम के ईसाई देश इन अफ्रीकी देशों में अपनी सेना को तैनात किए हुए हैं। अफ्रीकी देशों का आरोप है कि पश्चिमी देश विभिन्न कबाइली गिरोहों को आपस में उलझाकर इन देशों की खनिज संपदा का दोहन करना चाहते हैं। लीबिया के पूर्व तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी ने भी पश्चिम के ईसाई देशों से मुक्ति पाने का प्रयास किया था, मगर अमेरिका ने अन्य पश्चिमी देशों के साथ मिलकर गद्दाफी का तख्ता पलट दिया और उसकी हत्या कर दी गई। इस्लामिक देश और मुस्लिम आतंकी संगठन इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि इन अफ्रीकी देशों में पश्चिमी देशों को बोरिया-बिस्तर बांधने पर मजबूर किया जाए और वहां पर इस्लामिक शासन स्थापित किया जाए।

अन्य

सोमनाथ मंदिर पर टिप्पणी के आरोप में मौलाना के खिलाफ मुकदमा

इत्तेमाद (10 फरवरी) के अनुसार श्री सोमनाथ ट्रस्ट के महाप्रबंधक विजय सिंह चावड़ा की शिकायत पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया है। इस शिकायत के अनुसार मौलाना साजिद रशीदी ने कहा था कि मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला इस्लाम को फैलाने और मंदिर को लूटने के लिए नहीं किया था। उन्होंने कहा कि इस मंदिर में अनैतिक गतिविधियां होती थीं, जिनको रोकने के लिए महमूद गजनवी ने यह कदम उठाया था। मौलाना रशीदी ने यह दावा विभिन्न न्यूज चैनलों से बातचीत करते हुए किया था। उन्होंने दावा किया था कि क्योंकि सोमनाथ मंदिर अनैतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन गया था और वहां के पुजारी धर्म के नाम पर अनैतिकता फैला रहे थे, इसलिए उनकी गलत गतिविधियों को रोकने के लिए महमूद गजनवी ने इस मंदिर पर हमला किया था।

मौलाना अब्दुल कवि बरी

मुंबई उर्दू न्यूज (3 फरवरी) के अनुसार गुजरात उच्च न्यायालय ने हैदराबाद के मशहूर मुस्लिम विद्वान मौलाना अब्दुल कवि को बरी कर दिया है। उनके खिलाफ अहमदाबाद अदालत में मुकदमा चल रहा था, जो कि सबूत नहीं मिलने के कारण खारिज हो गया है।

गौरतलब है कि 23 मार्च 2014 को गुजरात पुलिस ने मौलाना को उस समय दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था, जब वे हैदराबाद से देवबंद में आयोजित एक बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। गुजरात पुलिस ने उन पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने हरेन पांड्या हत्याकांड के एक आरोपी को शरण दी थी। इस संबंध में मौलाना के खिलाफ देशद्रोह, आतंकवाद और यूएपीए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। गौरतलब है कि हरेन पांड्या हत्याकांड में 98 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से 56 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बाद में इनमें से 32 लोागों को रिव्यू कमेटी ने रिहा कर दिया था।

मस्जिदों में महिलाओं के नमाज पढ़ने पर रोक नहीं

सालार (9 फरवरी) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय में एक शपथपत्र दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि इस्लाम में किसी भी मस्जिद में महिलाओं के दाखिले पर कोई रोक नहीं है। मगर इस्लामिक शरा के अनुसार महिलाएं और पुरुष एक ही नमाज में शामिल नहीं हो सकते। क्योंकि यह इस्लामिक मूल्यों के खिलाफ है। याचिकाकर्ता ने इस संबंध में मक्का में परिक्रमा के सिलसिले में जिस उदाहरण का उल्लेख किया है, वह गुमराह करने वाला है। मक्का स्थित काबा में भी महिलाओं और पुरुषों को एक ही कतार में नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है। इसी तरह से मस्जिदों की प्रबंध समितियां भी मस्जिदों में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग नमाज पढ़ने की व्यवस्था कर सकती हैं।

मस्जिद-ए-नबवी में दाखिल हुईं दो गैर-मुस्लिम महिलाएं

मुंबई उर्दू न्यूज (10 फरवरी) के अनुसार मदीना स्थित मस्जिद-ए-नबवी में दो गैर-मुस्लिम विदेशी महिलाओं को दाखिल होने पर सुरक्षाकर्मियों ने हिरासत में ले लिया। मस्जिद-ए-नबवी प्रबंध समिति के अनुसार इन महिलाओं ने इस पवित्र स्थान में दाखिल होने के लिए उचित लिबास नहीं पहना था। ये यूरोपीय महिलाएं गलती से मस्जिद-ए-नबवी के बाहरी आंगन में दाखिल हुई। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह उपासना स्थल है, जिसमें दाखिल होने के लिए उचित लिबास पहनना जरूरी है। बाद में चेतावनी देकर उन्हें वापस भेज दिया गया। अब इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि भविष्य में ऐसी कोई गलती न हो।

सरकार की नई शिक्षा नीति की आलोचना

मुंबई उर्दू न्यूज (10 फरवरी) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने दरभंगा स्थित मदरसा नूरुल उलूम में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान शासकों द्वारा जानबूझकर मुसलमानों पर नई शिक्षा नीति लादी जा रही है। वे इस तरह से मुसलमानों की नई पीढ़ी पर हिंदू संस्कृति लादकर उन्हें हिंदू बनाना चाहते हैं। मुसलमानों को इस तरह की हरकतों से चौकन्ना रहने की जरूरत है। इस बात की बेहद जरूरत है कि मुस्लिम बच्चों को इस्लामिक इतिहास के बारे में सही जानकारी दी जाए। इस देश में मुसलमानों का इतिहास बहुत प्राचीन है। मुसलमानों ने अपने 800 वर्षों के शासनकाल में किसी भी धर्म को मानने वाले पर अपने धर्म, इतिहास और संस्कृति को नहीं लादा है। हर मुस्लिम शासक ने धार्मिक भाईचारे, उपासना स्थलों, हिंदू पुजारियों और ब्राह्मणों का सम्मान किया है। मुस्लिम शासकों की सद्भावना और धार्मिक उदारवादी दृष्टिकोण के कारण इस देश में रहने वाले हर मुसलमान का सिर गर्व से उंचा हो जाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सेक्युलर विचारधारा में विश्वास रखने वाले गैर-मुस्लिम विद्वानों को मस्जिदों और मदरसों में लाने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया जाए, ताकि इस्लाम के बारे में फैलाई जा रही गलतफहमियों को दूर किया जा सके।

RNI No. DELHIN/2017/72722

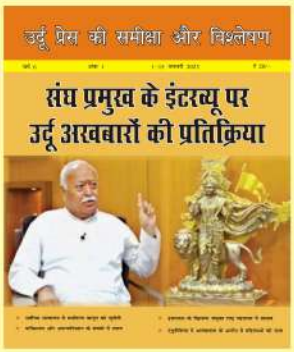

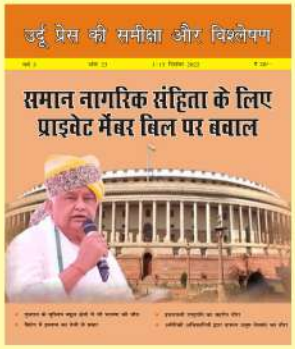

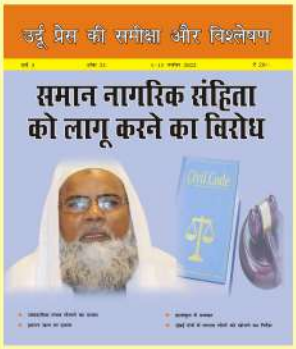

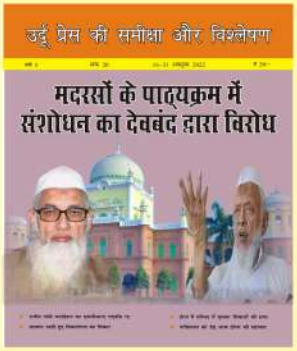

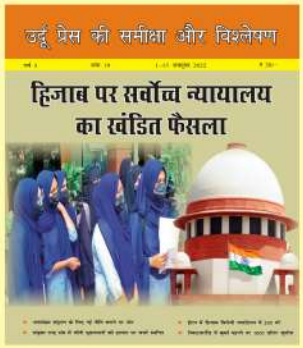

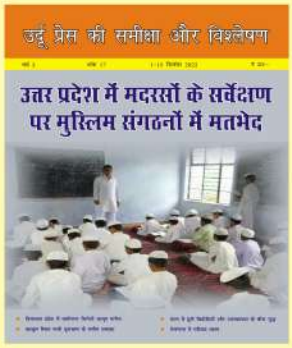

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018 • फैक्स : 011-46089365
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in